कार्यालय कलेक्टर जिला–मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र0 क्र0 44/अ–82/भू–अर्जन/उ0म0रे0/2017–18 मुरैना, दिनांक : 16/01/2018

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम– **मुंदावली**, तहसील व उपखण्ड– जौरा, जिला–मुरैना में कुल रकवा 0.454 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना तहसील– जौरा के ग्राम– **मुंदावली** प.ह.नं–65, रा.नि. वृत–04 में उक्त परियोजना के लिये **0.454** हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्राम्हण पता नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
2	14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	दयाशंकर देवेन्द्र पिता रामबाबू जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी बच्चनलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी।
3	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	प्रभुसिंह हि0 0.09 शिवचरन 0.09 पुत्रान चतुरे जाति जाटव विश्राम पुत्र बुद्दि हि0 रकवा 0.21 अवधेश पुत्र सुन्दरलाल हि0 रकवा 0.21 जाति ब्रा0 दर भाग 1/3 सुमेरा मातादीन पिस सोनी सामन्ती रामा रेवती नारायणी रामरती पुत्रियां सोनी मु0 सोनी बेवा सोनी समान भाग 1/3 कुंअरपाल पुत्र सुमेरा जाति जाटव हि0 1/3 निवासी ग्राम भूमिस्वामी दुल्ली पुत्र बलिराम जाति जाटव नि0 थरा अधिपत्य कृषक मु0 जा0 12 साल।
4	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.043	विश्राम पुत्र बुध्दा जाति जाटव पता नि0 बिरला नगर, ग्वालियर भूमि स्वामी।
5	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	रामहेत पुत्र जसवंत जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
6	31/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.097	प्रेमसिंह शशीकान्त पुत्रान जहार सिंह रामसनेही बेवा जाहर सिंह जाति रावत नि0 ग्राम थरा समान भाग भूमिस्वामी।

7	31/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामभरोषी पुत्र श्रीकृष्ण जाति रावत पता निवासी ग्राम थरा भूमि स्वामी।
8	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
9	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
10	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
11	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.037	श्रीराम जयराम पिस प्रभू दयाल जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल				0.454	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना
तारीख : 16·01·18

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

पृष्ठां. प्र0क्र0 44 / अ–82 / भू–अर्जन / उ0म0रे0 / 2017 मुरैना, दिनांक : 16 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा, जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना जौरा की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेषन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन / चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

दूरभाष:- 07532–223500

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)